न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–51/2019 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कैलाशचन्द पुत्र श्री मूलचन्द
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मूलचन्द
3. कंवर सिंह पुत्र मूलचन्द जातियान मीणा निवासीयान नंगली मेघा तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. रमेश पुत्र श्री रामलाल,
2. लीला पुत्र श्री रामलाल, जाति मीणा निवासीयान श्रीया का बास, तहसील रामगढ जिला अलवर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगढ जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–
1. श्री उमेश कौशिक, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री शैलेन्द्र भार्गव, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–17.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 25.06.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनुवान का दावा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के न्यायालय में इस आशय का चल रहा था कि आराजी खसरा नंबर 437, 439, लगायत 442, 453 लगायत 457, 461, 492 कुल किता 12 कुल रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके ग्राम अग्यारा तहसील रामगढ में स्थित है। इस भूमि के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये और तकसीम कर 1/2 हिस्से का कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की जिसका जबाव प्रतिवादीगण/अपीलांट ने दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य व बहस सुनकर आराजी मुतनाजा में वादीगण का 1/3 हिस्सा मानते हुये उसे 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निर्णय व डिक्री दिनांक 02.12.1997 को प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। इसके पश्चात कुरेजात रिपोर्ट आने पर 20.03.2004 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

मातहत अदालत ने अंतिम डिक्री पारित कर दी जिस अपील की दोनों पक्षों ने अपील की जिसमें अपीलांटान ने यह अंकित किया कि डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के नियम 18–21 की अनुपालना नही की गई है।इसमें यह अंकित करना आवश्यक है कि मातहत अदालत द्वारा 02.12.1997 की प्रारंभिक डिक्री राजस्व मंडल अजमेर तक बहाल रही है। राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने दिनांक 14.03.2005 को निर्णय दिनांक 20.03.2004 की अपील मंजूर करते हुये मातहत अदालत को रिमाण्ड कर दिया। इसके पश्चात पुनः 20.10.2005 को मातहत अदालत ने अंतिम डिक्री पारित कर दी। इस डिक्री की भी अपील अपीलांट ने इस न्यायालय में प्रस्तुत की जिस अपील का निर्णय कर 09.03.2016 को खारिज कर दी गई जिसकी अपील अपीलांट ने राजस्व मंडल अजमेर में प्रस्तुत की और यह इस्तदुआ की कि मातहत अदालत में डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18–21 की अनुपालना नही की गई। इस अपील के प्रस्तुत होने पर यह प्रकरण वृहद पीठ को इस आशय के साथ भेजी कि क्या तहसीलदार द्वारा कुरेजात रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव तैयार करना आज्ञापक है या वह अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है, भेजी। जिसको लार्जर बैंच में माननीय अध्यक्ष व अन्य सदस्यों ने सुनकर 26.04.2017 को यह आदेश पारित किया कि तहसीलदार, को सभी पक्षों को नोटिस देकर सभी पक्षों की हाजिरी में स्वयं की उपस्थिति में और संबंधित इलाके के आई एल आर और पटवारी की हाजरी में मौके की स्थिति मौके पर तैयार कर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय को भेजनी चाहिये और इस आधार पर दिनांक 27.09.2017 को माननीय खण्डपीठ ने उपखण्ड अधिकारी, रामगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.03.2016 को अपास्त करते हुये वृहद पीठ के निर्णय दिनांक 26.04.2017 के परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगढ को रिमाण्ड कर दिया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने 19.06.2017 को इस प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारण हेतु रखा और 19.06.2017 को यह ऑर्डरशीट लिखी कि पत्रावली का लोक अदालत में निस्तारण नही हो सका इसलिये पत्रावली 12.09.2017 को तलबी हेतु पेश हो। इसके पश्चात तहत अदालत ने तहसीलदार रामगढ को 02.08.2017 को कुरेजात रिपोर्ट मंगाने का आदेश दिया जिसमें तारीख पेशी 12.09.2017 नियत की गई। उपखण्ड अधिकारी रामगढ के आदेश के पश्चात तहसीलदार रामगढ ने 06.09.2017 को कुरेजात तैयार कर मातहत अदालत में प्रेषित किये और जिस कुरेजात के आधार पर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने दिनांक 25.06.2019 को अपना निर्णय कर अंतिम डिक्री पारित कर दी। जिस निर्णय दिनांक 25.06.2019 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि उपखण्ड अधिकारी रामगढ ने दिनांक 19.06.2017 को यह प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे जो कि खिलाफ कानून थे क्योंकि राजस्व मण्डल में यह अपील पेंडिंग थी और राजस्व मंडल की खण्डपीठ ने दिनांक 27.09.2017 को 09.03.2016 व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित डिक्री दिनांक 21.10.2015 को अपास्त कर दी थी और पत्रावली राजस्व मंडल अजमेर में थी तो ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी द्वारा 19.06.2017 व उसके बाद तहसीलदार रामगढ को कुरेजात बनाने के आदेश दिनांक 02.08.2017 को जो दिये हैं वो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है और तहसीलदार रामगढ ने जो कुरेजात दिनांक 06.09.2017 को बनाकर उपखण्ड अधिकारी, रामगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं वे भी खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है क्योंकि उस दिन अपीलांट की अपील राजस्व मंडल अजमेर में चल रही थी और राजस्व मंडल अजमेर की खण्डपीठ ने जो प्रकरण रिमाण्ड किया वह 21.09.2017 को किया है और उसमें तहत अदालत के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2015 व राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2016 को अपास्त किया है तो ऐसी स्थिति में ना तो तहत अदालत में यह दावा चल रहा था और ना ही तहसीलदार रामगढ को कुरेजात बनाने की आवश्यकता थी।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि उक्त दावे में जो निर्णय व डिक्री तहत अदालत ने पूर्व में की थी उसकी अपील इस न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई थी और अपीलांट की अपील खारिज होने के बाद अपीलांट ने इस निर्णय की अपील राजस्व मंडल में प्रस्तुत की थी और राजस्व मंडल की वृहद पीठ ने जो कानून प्रतिपादित किया है उसकी पालना तहत अदालत को करनी चाहिये थी। तहत अदालत को यह प्रकरण खण्डपीठ राजस्व मंडल द्वारा प्रतिप्रेषित किया गया था और यह आदेश दिया गया था कि वृहद पीठ के निर्णय की अनुपालना में इस प्रकरण का निस्तारण किया जावे। तहसीलदार रामगढ ने जो कुरेजात बनाये हैं वे खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है क्योंकि तहसीलदार रामगढ ने बहुत ही जल्दी करके ये कुरेजात बनाये हैं जो कुरेजात दिनांक 06.09.2017 को बनाये है।ये कुरेजात बनाने की सूचना 28.08.2017 को नोटिस अपीलांट के पास भेजा था जिसमें दिनांक 06.09.2017 को 11 बजे कुरेजात बनाने की सूचना दी गई थी। अपीलांट अपने परिवार सहित उक्त दिनांक को सुबह 11 बजे से सांय 4 बजे तक मौके पर बैठा रहा परन्तु सांय 4 बजे बाद तहसीलदार हरि सिंह 4–5 व्यक्तियों को लेकर मौके पर आये और उन्होंने अपीलांट से कहा कि आप खाली कागजों पर दस्तखत कर दो। तहसीलदार साहब ना तो मौके पर गाडी से उतरे और ना ही उन्होंने मौके पर कुरेजात बनाया और ना ही उन्होंने मौके पर जमीन की नपाई की। मौके पर 7 फुट बाजरे व ग्वार की फसल खडी हुई थी जिससे कि मौके पर कोई भी कार्यवाही नही हो सकती थी। तहसीलदार रामगढ ने पूर्व की भंति ही तहसील में बैठकर कुरेजात बनाये थे। जिसकी शिकायत 07.09.2017 को अपीलांटान ने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा माननीय राजस्व मंडल अजमेर को प्रेषित की और इसकी एक प्रति उपखण्ड अधिकारी रामगढ को भी भेजी गई थी। इसके बाद तहत अदालत ने जो कुरेजात बनाये हैं उन कुरेजात के खिलाफ अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर तहत अदालत ने कोई आदेश नही दिया और बहस सुनकर दिनांक 25.06.2019 को दावा वादी रमेश का डिक्री कर दिया। तहत अदालत ने अपने निर्णय में केवल मात्र तहसीलदार रामगढ द्वारा प्रेषित किये गये कुरेजात को ही मुख्य रूप से अपने निर्णय का पार्ट बनाया है जबकि तहत अदालत को अंतिम निर्णय व डिक्री करने से पूर्व यह अंकित करना चाहिये था कि कौनसे खसरा नंबरान में से किस खसरा नंबरान में जाने का रास्ता दिया गया है जो नक्शा तहसीलदार रामगढ द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया है उस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

नक्शे में कहीं भी जो मकानात बने हुये हैं, उनमें जाने का रास्ता अंकित नही किया गया है और ना ही कुरेजात बनाये गये हैं उनमें अंकन किया गया है। तहत अदालत में जो कुरेजात के विरूद्ध आक्षेप प्रस्तुत किये गये थे उन पर भी तहत अदालत ने कोई निर्णय नही दिया है। अतः तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2019 को निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि अपीलांट प्रस्तुत प्रकरण में न्याय नही होने देना चाहते हैं। विवादित आराजीयात पर हिस्सा 1/2–1/2 बनता है वह भी नही दिया। यहां तक कि 1/3 हिस्से पर भी कब्जा नही दे रहे हैं। अपीलांट प्रकरण को लटकाये रखना चाहते हैं। दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53 व 188 का है। आराजीयात के सहखातेदार अतिक्रमी नही होते हैं। तहसीलदार ने राजस्व मंडल के निर्णय 26.04.2017 के अनुसार ही कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की है। तहत अदालत का प्रारंभिक निर्णय 02.12.1997 आज भी अस्तित्व में है। राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय 09.03.2016 व माननीय राजस्व मंडल का निर्णय 26.04.2017 में नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खण्ड 53 नियम 18–21 की पालना सुनिश्चित कर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु ही निर्देशित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 27.09.2017 के आधार पर ही अन्तिम डिक्री दिनांक 25.06.2019 पारित की है जो निर्णय निर्देशानुसार, नियमानुसार व विधि अनुसार पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2019 का अवलोकन किया।

प्रकरण से संबंधित मुख्य बिंदु यह है कि क्या माननीय राजस्व मंडल में अपील लंबित रहते हुये तहत अदालत में क्या कोई कार्यवाही की जा सकती है?

माननीय राजस्व मंडल की वृहदपीठ के आदेश 26.04.2017 की अनुपालना में आदेशिका दिनांक 27.09.2017 को यह आदेश दिया गया कि "प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व अपील प्राधिकारी दिनांक 09.03.2016 व उपखण्ड अधिकारी दिनांक 21.10.2015 को अपास्त करते हुये प्रकरण को एल बी वृहदपीठ के निर्णय दिनांक 26.04.2017 के परिपेक्ष्य में नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी रामगढ, अलवर को प्रतिप्रेषित किया जाता है"

तहत अदालत द्वारा तहसीलदार को कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने का पत्र क्रमांक राजस्व/2017/162 दिनांक 28.08.2017 को जारी किया गया। इस आधार पर तहसीलदार ने संबंधित पक्षकारों को दिनांक 28.06.2017 को नोटिस जारी किया। तहसीलदार ने 27.09.2017 को कुरेजात रिपोर्ट बनाकर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी में पेश किया और उस आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 25.06.2019 को निर्णय व डिक्री पारित की गई।

उपरोक्तानुसार उक्त प्रकरण दिनांक 27.09.2017 तक माननीय राजस्व मंडल राजस्थान में लम्बित था। इस दिनांक तक तहत अदालत एवं तहसीलदार द्वारा कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

कार्यवाही नही की जानी चाहिये थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कुर्रेजात मंगाने/तैयार करने बाबत तहसीलदार को पत्र क्रमांक राजस्व/2017/162 दिनांक 28.08.2017 द्वारा निर्देशित किया। तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 27.09.2017 को तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी को भेजी। जिस आधार पर उपखण्ड अधिकारी ने निर्णय दिनांक 25.06.2019 पारित किया है।

इससे यह स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मंडल में कार्यवाही लम्बित रहते हुये तहत अदालत द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की गई है जो विधिक व तकनीकि रूप से त्रुटिपूर्ण है। इसलिए अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर काबिल स्वीकार के है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2019 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कुर्रेजात रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खण्ड 53 के नियम 18–21 की पालना सुनिश्चित करवाते हुये, यथासंभव कब्जा व मौके को आधार मानते हुये, सभी खातेदारों के आवागमन हेतु सामूहिक रूप से रास्ता दर्ज करते हुये (रास्ते को सामूहिक खातेदारी में दर्ज करते हुये), विधिवत निर्णय पारित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे तहत न्यायालय में दि0 05.02.2020 को उपस्थित हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.12.19

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी, (राज०)
अलवर